



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वाडों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
- 2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
- 3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारीयां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना प्रभारी सरधुवा उ०नि० श्री अजहर जमाल द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त होकर दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.तरुण मिश्रा उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र रामनरेश मिश्रा 2.संजय मिश्रा उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र ललित मिश्रा 3.रमाकान्त मिश्रा उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र अशोक कुमार मिश्रा निवासीगण ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4.विद्यासागर उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र राजकरन तिवारी 5.राज उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र विद्यासागर निवासीगण रैपुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 6.पवन उर्फ धोनी उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र राजकिशोर पाण्डेय उर्फ दादू 7.राजकिशोर पाण्डेय उर्फ दादू उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र स्व० अवधेश नारायण पाण्डेय निवासीगण ग्राम दुबे का पुरवा मजरा चिल्लीमल जनपद चित्रकूट 8.शिवप्रताप उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र तुलवा 9.रामलखन उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र शिवप्रताप 10.चन्द्रभान उम्र करीब 49 वर्ष पुत्र तुलवा निवासीगण ग्राम बिहरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 13 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ०नि० श्री मुन्नीलाल, उ०नि० धीरेन्द्र राम, उ०नि० अवधेन्द्र त्रिपाठी, आरक्षी राकेश कुमार व आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ द्वारा 1.मु०नं० 39/2018 धारा 323, 504, 506 भा०द०वि० के वारंटी अभियुक्त कटारी उर्फ रमाशंकर पुत्र हीरालाल उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम शिवलहा पुरवा मजरा गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2.मु०नं० 50/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त राजमुनि रैदास पुत्र गुजर उम्र करीब 58 वर्ष निवासी गंजरी मजरा गढ़वा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ०नि० श्री अनिल कुमार गुप्ता मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार थाना राजापुर द्वारा मु०नं० 36/2025 अ०सं० 549/2021 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारंटी अभियुक्त भोला यादव पुत्र महाराजदीन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ०नि० श्री अशोक कुमार मिश्रा, उ०नि० श्री अनन्त कुमार तिवारी मय हमराह मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी थाना सरधुवा द्वारा 1.मु०नं० 429/2019 मु०अ०सं० 206/2017 धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा०द०वि० के वारंटी अभियुक्त प्रहलादी उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र धनराज निवासी गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2.मु०नं० 2996/2020 मु०अ०सं० 245/2009 धारा 147, 148, 149, 307, 427, 504, 506 भा०द०वि० व 7 क्रि०लॉ० अमेन्डमेन्ट एक्ट के वारंटी अभियुक्त अभिमान सिंह उम्र करीब 51 वर्ष पुत्र हमुनानदीन सिंह निवासी ग्राम ममसी बुजुर्ग थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ०नि० श्री शम्भूशरण सिंह मय हमराह होमगार्ड अनूप कुमार थाना मानिकपुर द्वारा मु०नं० 1221/20 अ०सं० 01/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त बालेश्वर प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). उ०नि० श्री बलवन्त यादव मय हमराह मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह थाना भरतकूप द्वारा 1.मु०नं० 912/2012 अ०सं० 21/2012 के वारण्टी अभियुक्त पप्पू पुत्र कल्लू उम्र करीब 42 वर्ष निवासी रमपुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 2.मु०नं० 205/2018 अ०सं० 46/2017 धारा 279,337,427,304ए भादवि० के वारण्टी अभियुक्त बादा प्रजापति पुत्र चुन्ना निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ०नि० श्री अरविन्द कुमार चौकी परिक्रमा मार्ग मय हमराही आरक्षी आशीष कुशवाहा मु०नं० 7728/2022 धारा एमवी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी रानीपुर खाकी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii). उ०नि० श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी रतीराम,आरक्षी राहुल कुमार व आरक्षी मृत्युजय पाण्डेय थाना पहाड़ी द्वारा वाद संख्या 04/2025 धारा 147 बीएनएसएस के वारण्टी अभियुक्त चांद खां पुत्र स्व० साबिर खां निवासी ग्राम कलवारा खुर्द थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(viii). उ०नि० श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी अजीत कुमार थाना कोत० कर्वी द्वारा मु०नं० 1742/2024 अ०सं० 52/24 धारा 379,411,473 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र रामखिलावन निवासी पासी तिराहा के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ix). उ०नि० श्री सनी कुमार चतुर्वेदी चौकी प्रभारी शिवरामपुर मय हमराह आरक्षी विवेक कुमार व आरक्षी शिवपूजन द्वारा मु०नं० 3615/2020 अ०सं० 399/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त नन्हे पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी खटकाना मोहल्ला शंकर बाजार थाना कोत० कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ०नि० श्री जंग बहादुर चौकी सीतापुर मय हमराह आरक्षी नागेन्द्र कुमार मु०नं० 507/2025 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त सतीश पटेल पुत्र कमलेश पटेल निवासी नवीन सब्जी मंडी के सामने चित्रागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा करते हुए 01 अन्तर्राज्यीय चोर सहित 05 चोर गिरफ्तार, चोरी की 80 किलोग्राम तांबे का जला हुआ केबिल तार सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो०सा० एच०एफ० डीलक्स, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.रोशन पुत्र राजेन्द्र निवासी कामतन बाजार थाना नयागांव जनपद सतना म०प्र० उम्र करीब 30 वर्ष

2.आनन्द पुत्र राजाराम सोनकर निवासी कालीदेवी मंदिर के पास सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 39 वर्ष

3.सुभाष राजपूत पुत्र सुकरू निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष

4.सोमत पुत्र विजय बहादुर निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष

5.सद्दू सोनकर पुत्र देशराज सोनकर निवासी चौकी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास ---

रोशन पुत्र राजेन्द्र निवासी कामतन बाजार थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 30 वर्ष

1.मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 154/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

सुभाष राजपूत पुत्र सुकरू निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष

1.मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 154/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

सोमत पुत्र विजय बहादुर निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष

1.मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 154/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

आनन्द पुत्र राजाराम सोनकर निवासी कालीदेवी मंदिर के पास सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 39 वर्ष

1.मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

सद्दू सोनकर पुत्र देशराज सोनकर निवासी चौकी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 50 वर्ष

1.मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर

एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स UP 96 M 6915

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

अरवारा मोड़ बन्द पड़े प्लाट के पास थाना रैपुरा, 30.11.2025 समय 02.05 बजे

संक्षिप्त विवरण:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक दिनांक 29.11.2025 को वादी राकेश सोनी निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (श्री सीमेन्ट ईस्ट प्राइवेट कम्पनी के प्रबन्धक) द्वारा सूचना दी गयी की दिनांक 26.11.2025 की रात्रि लगभग 11 बजे से 01 बजे के बीच तीन अज्ञात व्यक्ति दीवार फांदकर कारखाने में आ गये और लगभग 1350 मीटर बिजली के तार काट कर चोरी करके ले जा रहे थे, तो सुरक्षा गार्ड ने उन अज्ञात व्यक्तियों को देख लिया और हल्ला मचाकर पकड़ने की कोशिश की लेकिन उन अज्ञात व्यक्तियों ने दहशत फैलाने के इरादे से गार्ड की तरफ हवाई फायरिंग कर अंधेरे का फादया उठाकर भाग गये। इसके पहले कुछ अज्ञात चोरो द्वारा दिनांक 20.11.2025 को लगभग 1700 मीटर केबल तार, दिनांक 22.11.2025 को लगभग 1800 मीटर केबल तार काटकर चोरी की गयी थी। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनांक 29.11.2025 को उ0नि0 श्री अखिलेश यादव मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की पतारसी सुरागरसी करते हुए बोड़ी पोखरी चोराहे मामूर थे कि मुखविर द्वारा सूचना दिया गया कि मदना पॉवर प्लान्ट से जो लोग तांबे का केबिल तार चोरी किये थे, वे लोग अरवारा मोड़ पर बन्द पड़े प्लान्ट के पास मौजूद है और चोरी किये हुये केबिल तार को बेचने की फिराक में है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 अखिलेश यादव द्वारा थाना हाजा से वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु खाना टीम को बुलाया गया तत्पश्चात मकसद बताकर मुखविर के बताये हुए स्थान की ओर चल दिये। जैसे ही अरवारा मोड़ आगे बन्द पड़े प्लान्ट से करीब 100 मीटर मुखविर इशारा करके चला गया। पुलिस टीम द्वारा छिपते छिपाते हुए किनारे खड़े लोगो के पास पहुंचकर एवं घेर घार कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से क्रमश नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.रोशन पुत्र राजेन्द्र निवासी कामतन बाजार थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 उम्र करीब 30 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल सैमसंग, एक प्लास्टिक की बोरी में जला हुआ तांबे का केबिल बरामद हुआ, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2.आनन्द पुत्र राजाराम सोनकर निवासी कालीदेवी मंदिर के पास सीतापुर थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 39 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक प्लास्टिक की बोरी में तांबे का जला हुआ केबिल तार, जेब से 200/- रुपये, एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल वीवो कम्पनी बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम 3.सुभाष राजपूत पुत्र सुकरू निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 25 वर्ष बताया जिसके पास से एक प्लास्टिक की बोरी में तांबे का जला हुआ तार बरामद हुआ। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम

4.सोमत पुत्र विजय बहादुर निवासी पवारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष जिसके पास से एक प्लास्टिक की बोरी में तांबे के केबिल का जला हुआ तार बरामद हुआ । पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम

5.सदू सोनकर पुत्र देशराज सोनकर निवासी चौकी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 50 वर्ष जिसकी जामा तलाशी से एक प्लास्टिक की बोरी में तांबे के केबिल का जला हुआ तार तथा पहने हुए पैन्ट से 150/- रूपये बरामद हुआ । बरामद गाड़ी के बारे में कड़ाई से पूछने सुभाष उपरोक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरी है,तभी सभी व्यक्तियों ने बताया कि हमलोग दिनांक 20/22.11.2025 की रात में मदना सोलर प्लान्ट से चोरी किये हुए तांबे के केबिल तार को जला कर एवं अलग – अलग बोरी में भरकर बेचने के इरादे से आये थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्ति रोशन,सुभाष व सोमत राजपूत ने बताया कि हमलोग दिन के समय इसी मोटर साइकिल से घूम फिर कर रेकी करते है और रेकी किये गये स्थानों पर रात में चोरी करते है।चोरी करके जो भी माल मिलता था उसको आपस में बाटं लेते फिर बेचकर परिवार का जीवनयापन करते है।आज भी सामान लेकर बेचने के इरादे से निकले थे कि रास्ते में रोशन के मोबाइल पर चोरी का माल खरीदने वाले सीतापुर कर्वी के आनन्द सोनकर का फोन आया,उसने बताया कि मैं अपने साथी सदू सोनकर निवासी खोह के साथ आ रहा हूँ रास्ते में मिलूंगा और वही पर माल खरीद लूंगा,ताकि किसी को कुछ पता नही चल पाये । चोरी का माल खरीदने वाले आनन्द और सदू सोनकर भी वही पर आ गये ।हम पांचो लोग अलग अलग बोरी में तार को लेकर आगे ही जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया । बरामद तमंचा व कारतूस के बारे में पूछने पर बताया कि रोशन ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ रात में चोरी करने लिए अक्सर बाहर जाता रहता हूँ और पकड़े जाने के डर से चोरी करने वाले स्थान पर हवाई फायरिंग करके लोगों में दहशत फैला देता हूँ। कड़ाई से पूछने पर आनन्द सोनकर और सदू सोनकर ने बताया कि हमलोग कबाड़ की दुकान खोल रखी है हमलोग चोरी का माल सस्ते दाम में खरीदते है ताकि किसी को पता न चल पाये। आज भी हमलोगों चोरी का माल खरीदने के लिए आये थे रोशन,सोमत,सुभाष ने बताया कि हम लोग घूम घूम कर बहुत सी चोरिया की है,अन्य साथी रज्जन पुत्र फरुआ के साथ इसी साल सितम्बर महीने में मदना सोलर प्लान्ट से कई बार काफी मात्रा में तांबे का तार चोरी करके जलाकर आनन्द और सदू को बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में 1. मु0अ0स0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट, 2. मु0अ0स0 154/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट पंजीकृत है। अभियुक्तों के कब्जे से माल बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी,घटना में प्रयुक्त मो0सा0 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। आरोपी अभियुक्त रोशन उपरोक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट में धारा 3/9/25 की बढोत्तरी की गयी । अब मुकदमा मु0अ0स0 287/2025 धारा 331(4),305(5) बीएनएस व 3/9/25 आर्म्स एक्ट में होगी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अखिलेश यादव

2.उ0नि0 श्री सुभाष रम

3.मुख्य आरक्षी रामकिशोर

4.आरक्षी चालक पवन यादव